

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजवांछित 01 असलहा तस्कर गिरफ्तार; पूर्व में 07 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तारपूर्व की घटना-

➡दिनांक- 31.01.2024 को प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज कृष्ण कुमार गुप्ता व स्वाट टीम द्वारा अवैध शस्त्र बनाने में शामिल 04 अभियुक्तों 1. बिजराज विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा निवासी त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, 2. मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा निवासी मुहम्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़, 3. संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव निवासी कुड़ही थाना महाराजगंज, 4. संजय कुमार पुत्र रामनाथ राम निवासी देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ को 11 देशी निर्मित/अर्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, व असलहा बनाने के उपकरण के साथ ग्राम इब्राहिमपुर में घाघरा नदी की अर्धनिर्मित पुलिया से गिरफ्तार किया गया था। मौके से 04 अभियुक्त 1. प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे पुत्र इंद्रजीत पांडे उम्र 35 वर्ष ग्राम खलीफतपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ 2. राजीव कुमार गौतम उर्फ राजू पुत्र पलटू राम ग्राम देवरा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़, 3. अभिषेक यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ऐनवा थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर 4. कालू यादव पुत्र अज्ञात पता अज्ञात फरार हो गये थे। जिसके क्रम में-

➡दिनांक- 01.02.2024 को थाना प्रभारी महाराजगंज मय हमराह द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त 1. प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे पुत्र इंद्रजीत पांडे उम्र 35 वर्ष ग्राम खलीफतपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ व 2. राजीव कुमार गौतम उर्फ राजू पुत्र पलटू राम ग्राम देवरा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ को 01 ऑटोमेटिक कार्बाइन व 02 खोखा कारतूस .32 बोर, 01 पिस्टल, 02 जिन्दा .32 बोर व चोरी की एक मोटरसाइकिल (सुपर स्प्लेन्डर) के साथ गिरफ्तार किया गया था।

➡दिनांक- 01.02.2024 को थाना प्रभारी अहरौला मय हमराह द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त **अभिषेक यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ऐनवा थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर** 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

➡पुलिस मुठभेड़ थाना महाराजगंज में गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे व अभिषेक यादव पुत्र रामचरन यादव ने बताया कि थाना महाराजगंज क्षेत्रान्तर्गत निवासी देवारा तुर्कचारा के रहने वाले सीताराम यादव एवं संजय यादव पुत्र रामशब्द यादव द्वारा हम लोगों को पूर्व में कार्बाइन एवं पिस्टल रखने के लिए दिया गया था, इनके द्वारा भी असलहा खरीद-फरोख्त किया जाता है। वर्तमान में अभियुक्त सीताराम यादव गोरखपुर जेल में निरूद्ध है तथा अभियुक्त संजय यादव फरार चल रहा है। इसके सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

जिसके क्रम में

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 02.02.2024 को 30नि0 हरकेश बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा थाना महाराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-39/24 धारा 120बी भादवि व 3/5/12/27 A. ACT से सम्बन्धित अभियुक्त संजय यादव पुत्र रामशब्द यादव सा0 देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को कटान बाजार से 13.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। विवेचना से अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तलाशी की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 39/24 धारा 120बी भादवि व 3/5/12/27 A. ACT थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. संजय यादव पुत्र रामशब्द यादव सा0 देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 44 वर्ष
आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 39/24 धारा 120बी भादवि व 3/5/12/27 A. ACT थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- 30नि0 हरकेश बहादुर सिंह हे0का0 देवेन्द्र गिरि हे0का0 सुबाषचन्द्र यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़

थाना मुबारकपुर
किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 28.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की लड़की को अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र रामअवध चौहान निवासी ग्राम भुसुवा थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 02.02.2024 को उ0नि0 तुलसी प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र रामअवध चौहान निवासी ग्राम भुसुवा थाना रानीपुर जनपद मऊ को सठियांव बस स्टॉप से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 41/2024 धारा 363/366 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- दीपक चौहान पुत्र रामअवध चौहान निवासी ग्राम भुसुवा थाना रानीपुर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 41/2024 धारा 363/366 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 तुलसी प्रसाद, का0 मुकेश चौधरी, का0 प्रदीप चन्द्र थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 01.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त इन्तखाव पुत्र अफफान निवासी भावारायपुरपट्टी टण्डन राय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने छेड़छाड़ किया व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 354/506 भादवि0 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(2)(va) SC/ST Act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 01.02.2024 को वादी मुकदमा ने छेड़खानी करने वाले अभियुक्त इन्तेखाव पुत्र अफफान निवासी भावारायपुरपट्टी टण्डन राय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मौके से पकड़ कर थाना स्थानीय पर सूपूर्द किया। स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त को समय करीब 23.10 बजे पुलिस हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 31/2024 धारा 354/506 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(2)(va) SC/ST Act थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त- इन्तखाव पुत्र अफफान निवासी भावारायपुरपट्टी टण्डन राय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली
किशोरी को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की बहन को अभियुक्त नागेन्द्र पुत्र लालचन्द्र सा0 वलुवा नेवादा मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 57/24 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 02.02.2024 को निरीक्षक रामकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नागेन्द्र पुत्र लालचन्द्र निवासी वलुवा नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को बाग लखराव पुलिया से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम पता- नागेन्द्र पुत्र लालचन्द्र निवासी वलुवा नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-57/24 धारा 363/366 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह का0 गौरव जायसवाल व का0 शैलेन्द्र प्रसाद थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- सरायमीर

चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना- दिनांक 01.02.2024 को वादी मुकदमा निजाय अहमद पुत्र स्व0 मुस्तफा ग्राम कोरौली खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की आटा पीसने की चक्की से चावल, गेहूँ, तेल व 700/रु0 विपक्षी 1. एहतेशाम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 अब्बल, 2. ओवैदुरहमान पुत्र स्व0 रईश समस्त निवासी चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ ने चोरी किया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 47/2024 धारा 380/457 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.02.2024 उ0नि0श्री मुन्नालाल मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.एहतेशाम उर्फ सोनू पुत्र अब्बल ग्राम चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 2. ओवैदुरहमान पुत्र स्व0 रईस ग्राम चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को गेहूँ 45 किलो 500 ग्राम तथा चावल 29 किलो 400 ग्राम पाया गया। तथा पिपिया में रखा सरसो का तेल 04 किलो 200 ग्राम तथा 700 रुपया के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त ओवैदुरहमान के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से चोरी गये सामानों की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की जाती है। अभियुक्त एहतेशाम उर्फ सोनू व ओवैदुरहमान के विरुद्ध धारा 457/380/411 भादवि व ओवैदुरहमान को अतिरिक्त जूम धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का अपराध पाकर बताकर समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0-47/2024 धारा 380/457 भादवि **बढ़ोत्तरी धारा 411** भादवि की बढ़ोत्तरी थाना सरायमीर आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0-49/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.एहतेशाम उर्फ सोनू पुत्र अब्बल ग्राम चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
 2. ओवैदुरहमान पुत्र स्व0 रईस ग्राम चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
- बरामदगी – 1-** गेहूँ 45 किलो 500 ग्राम, चावल 29 किलो 400 ग्राम, पिपिया में रखा सरसों का तेल 4 किलो 200 ग्राम
- 2-एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0-47/2024 धारा 380/457 भादवि **बढ़ोत्तरी धारा 411** भादवि की बढ़ोत्तरी थाना सरायमीर आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0-49/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले टीम- उ0नि0श्री मुन्नालाल मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना – अहरौला

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 23.12.2023 को वादिनी चन्द्रवती पत्नी कल्लू सा0 गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित दी कि दिनांक 21.12.2023 को समय 7.00 बजे विपक्षी 1. विकाश पुत्र राम जियावन 2. चन्द्रकला पत्नी राम जियावन 3. चन्दा पुत्री राम जीयावन 4. ज्योती पुत्री राम जीयावन 5. रामकेवल पुत्र सल्लन्ती 6. शनि पुत्र राम केवल 7. हरिश्याम पुत्र छोटेलाल निवासीगण गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा जमीनी विवाद को लेकर चोरी चुपके निर्माण करना, मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की नियत से लाठी डण्डा ईंट पत्थर मारपीट कर घायल कर दिया गया, के सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 442/23 धारा 323/504/506/34/307 भादवि बनाम 07 नफर पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना धारा 304 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 02.02.2024 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.चन्द्रकला पत्नी रामजियावन निवासी गौरी चौबे का पूरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. चन्दा D/o रामजियावन निवासी ग्राम गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को गौरी नहर पुलिया के पास समय 15.14 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 442/23 में धारा 323/504/506/34/307/304 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. अभियुक्त चन्द्रकला पत्नी राम जियावन उम्र 40 वर्ष

2. चन्दा पुत्री राम जीयावन उम्र 22 वर्ष सा0 गौरी चौबे का पूरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

हत्या के प्रयास में वांछित 06 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त 04 लाठी बरामद ।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण----

दिनांक- 25.01.2024 वादिनी मुकदमा श्रीमती मीना पत्नी राजेश कुमार ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ने थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी कि रात्रि में 21.30 बजे बर्थडे कार्यक्रम के दौरान विपक्षी 1. सूरज पुत्र अशरफी 2. रोहित पुत्र सरवन 3. धीरू उर्फ दुर्गेश पुत्र भूजी उर्फ दशरथ 4. विनय पुत्र रामचन्द्र 5. राहुल पुत्र सरवन 6. मोहित पुत्र सरवन निवासीगण ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर वादिनी मुकदमा को गाली गलौज देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं.23/2024 धारा 323, 504,506,34 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 यशवन्त सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

➔विवेचना के दौरान प्राप्त वीडियो एवं अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-307/458 भादवि की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 01.02.2024 को उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. सूरज पुत्र अशरफी 2. रोहित पुत्र सरवन 3. धीरू उर्फ दुर्गेश पुत्र भूजी उर्फ दशरथ 4. विनय पुत्र रामचन्द्र 5. राहुल पुत्र सरवन 6. मोहित पुत्र सरवन निवासीगण ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ को विषहम मोड के पास समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं.23/2024 धारा 323, 504,506,34 IPC धारा 307/458 भादवि की बढोत्तरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूरज पुत्र अशरफी उम्र-18 वर्ष ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ
2. रोहित पुत्र सरवन उम्र 21 वर्ष ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ
3. धीरू उर्फ दुर्गेश पुत्र भूजी उर्फ दशरथ उम्र 21 वर्ष ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ
4. विनय पुत्र रामचन्द्र उम्र 25 वर्ष ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ
5. राहुल पुत्र सरवन उम्र 23 वर्ष ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ
6. मोहित पुत्र सरवन उम्र 18 वर्ष ग्राम मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ

आपराधिक इतिहास:—

1- मु.अ.सं.23/2024 धारा 323, 504,506,34 IPC धारा 307/458 भादवि की बढोत्तरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ ।

बरामदगी का विवरण—

1- घटना में प्रयुक्त 04 लाठी डण्डा बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0यशवन्त सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

हे0का0 महेन्द्र कुमारथाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

का0 रविशंकर चौरसियाथाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

का0 सूरज खरवारथाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

का0 विश्वामित्र कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ